PARLIAMENTARY BUSINESS

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)
***

Sub: Schedule of Answers to Parliament Questions

As per the guidelines issued by the Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats (LSS/RSS), final Answers to Starred and Unstarred Questions, duly approved by the Hon'ble Minister of Railways are required to be furnished to LSS/RSS as per the following schedule:

Lok Sabha Questions (to be replied on Wednesday) – Answers to be furnished by 1500 hrs on Tuesday
Rajya Sabha Questions (to be replied on Friday) – Answers to be furnished by 1700 hrs on Thursday

2. In order to adhere to the above timeline, schedule for submission of Parliament Question files (both Starred and Unstarred) to the Hon'ble MR is as follows:

Question Day	Receipt of Provisionally Admitted Questions	Files to be submitted to Hon'ble MR by	Briefing of Questions (as decided by O/o Hon'ble MR)
Wednesday (Lok Sabha)	Previous Wednesday	Friday (1730 hrs)	Saturday 1000 hrs onwards
Friday (Rajya Sabha)	Previous Friday	Monday (1730 hrs)	Tuesday 1000 hrs onwards

3. O/o Hon'ble MR has further advised that following guidelines should be strictly complied with:

(a) If a file is submitted beyond the time prescribed in above schedule, it will be the responsibility of the concerned Directorate to get the approval of Hon'ble MR.

(b) In respect of the Starred Questions, Note for Supplemantaries in the prescribed format should be invariably placed on file along with the draft reply to the Question.

(c) In respect of Starred Questions concerning Public Sector Undertakings (PSUs) under the Ministry of Railways, the concerned Managing Director along with the Board Member, who is also the part-time Chairman of the said PSU, should invariably be present during the Briefing conducted by Hon'ble MR.

4. Brief guidelines for processing of Parliament Questions are available on the railnet at the link: http://10.210.3.84/secretary/Parliament/cir_index.htm

19/11/2024.
(Ashutosh Garg)
Dy. Secretary (Parl.)

No. 2024/Parl/13/COSH
New Delhi, dated: 19.11.2024

(i) All Officers & Branches in Ministry of Railways at Rail Bhawan, New Delhi/ COFMOW Building, Tilak Bridge/ RPSF office, Dayabasti, Delhi.
(ii) MDs of Braithwaite & Co. Ltd., CONCOR, CRIS, DFCCIL, HMRDCL, IRCON, IRCTC, IRFC, IRWO, KMRCL, KRCL, MRVC, NHRCL, RAIL-TEL, RITES, RLDA & RVNL.

Copy to:
1. CRB & CEO, M(Fin), M(Infra), M(T&RS), M(O&BD), Secretary and ED(CC).
2. Adv/MR, OSD/MR, OSD(Co-ord)/MR, EDPG/MR, PS/MR, EDPG/MoSR(R), JDPG/MoSR(S).
3. PED (IR) and Director (OL).

संसदीय कार्य

भारत सरकार

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

***

विषय: संसदीय प्रश्नों के उत्तर की समय अनुसूची

लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के माननीय रेल मंत्री द्वारा विधिवत अनुमोदित अंतिम रूप से तैयार उत्तर लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों को निम्न कार्यसूची के अनुसार प्रस्तुत की जानी है :

लोक सभा प्रश्न (बुधवार के लिए) – उत्तर मंगलवार को 1500 बजे तक प्रस्तुत किए जाने हैं

राज्य सभा प्रश्न (शुक्रवार के लिए) – उत्तर बृहस्पतिवार को 1700 बजे तक प्रस्तुत किए जाने हैं

2. उपर्युक्त समय-सीमा का पालन करने के लिए, माननीय रेल मंत्री को संसदीय प्रश्नों की फाइलें (तारांकित और अतारांकित दोनों) प्रस्तुत करने की समय अनुसूची निम्नानुसार है:

प्रश्न दिवस	**अनंतिम रूप से स्वीकृत प्रश्नों की प्राप्ति**	**माननीय रेल मंत्री को फाइलें प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा**	**प्रश्नों के लिए ब्रीफिंग (माननीय रेल मंत्री की सुविधानुसार)**
बुधवार (लोक सभा)	पिछला बुधवार	शुक्रवार (1730 बजे)	शनिवार 1000 बजे से
शुक्रवार (राज्य सभा)	पिछला शुक्रवार	सोमवार (1730 बजे)	मंगलवार 1000 बजे से

3. माननीय रेल मंत्री कार्यालय ने आगे कहा है कि निम्नलिखित दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए:

(i) यदि फाइल उपर्युक्त समय अनुसूचि में निर्धारित समय के बाद प्रस्तुत की जाएगी तो माननीय रेल मंत्री से उसका अनुमोदन लेने का दायित्व संबंधित निदेशालय का होगा।

(ii) तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में, पूरक प्रश्नों के लिए नोट को निर्धारित प्रारूप में प्रश्नों के उत्तर के मसौदे सहित अनिवार्य रूप से फाइल में रखा जाना चाहिए।

(iii) रेल मंत्रालय के अधीन सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित तारांकित प्रश्नों के संदर्भ में, बोर्ड सदस्य जो उक्त सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों के अंशकालिक अध्यक्ष भी होते है, सहित संबंधित प्रबंध निदेशक को माननीय रेल मंत्री द्वारा की जा रही ब्रीफिंग के दौरान अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए।

4. संसदीय प्रश्नों की प्रक्रिया के लिए संक्षिप्त दिशानिर्देश रेलनेट पर निम्न लिंक पर उपलब्ध हैं: http://10.210.3.84/secretary/Parliament/cir_index.htm

19/11/2024.

(आशुतोष गर्ग)
उप सचिव (संसद)

संख्या-2024/पार्ल/13/सीओएसएच
नई दिल्ली, दिनांक :19.11.2024

रेल मंत्रालय के रेल भवन, नई दिल्ली/ कॉफ्मो बिल्डिंग, तिलक ब्रिज/ आर.पी.एस.एफ. कार्यालय, दयाबस्ती, दिल्ली के सभी अधिकारी एवं शाखाएँ।